पारंपरिक चिकित्सा हेतु विनियामक निकाय

प्रीलिम्स के लिये:

पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, होम्योपैथी, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973

मेन्स के लिये:

भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबंधित विषय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा ने होम्योपैथी और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों के लिये अलग आयोग गठित करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 (National Commission for Homoeopathy Bill, 2019) और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019 (The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019) पारित किया है।

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक, 2019

(The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019)

- राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक को 7 जनवरी, 2019 को राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके पश्चात् इसे समीक्षा के लिये एक स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने नवंबर, 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इस विधेयक में भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1970 को निरस्त करने तथा एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य उद्देश्यों के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता और नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान सुनिश्चित किया जा सके।
- इसके अलावा इस विधेयक में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जो कि मौजूदा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद को प्रतिस्थापित करेगा।

[राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019]

(National Commission for Homoeopathy Bill, 2019)

- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 को भी 7 जनवरी, 2019 को राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इसमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को निरस्त करने के प्रावधान किये गए हैं।
- विधेयक में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि मौजूदा केंद्रीय परिषद का स्थान लेगा।
- यह विधेयक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को रद्द करता है और ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करता है, जो निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित करे-
  - उच्च स्तरीय होम्योपैथिक मेडिकल पेशेवरों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराना।
  - होम्योपैथिक मेडिकल पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाना।
  - मेडिकल संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन करना।
  - एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करना।

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973

- होम्योपैथी की शिक्षा एवं प्रैक्टिस के नियमन, केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के रखरखाव तथा संबंधित मामलों को लेकर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन के लिये होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को लागू किया गया था।

- यह अधिनियम होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा एवं प्रैक्टिस के विकास के लिये एक ठोस आधार प्रदान करता है।

होम्योपैथी

(Homoeopathy)

- होम्योपैथी की खोज जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुएल हैनिमैन (Christian Friedrich Samuel Hahnemann) (1755-1843) द्वारा अठारहवीं सदी के अंत में की गई थी।
- यह प्रणाली दवाओं द्वारा रोगी का उपचार करने की एक ऐसी विधि है, जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक रोग का अनुरूपण करके समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-regulatory-bodies-to-cover-traditional-medicine